

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 22/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम
पटवारी हल्का जसवंतपुरा

गैरसायल

श्रीमती काली पत्नि मूला


जाति भील निवासी जसवंतपुरा

निर्णय

दिनांक:-04.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल गैर हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जसवंतपुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 198 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म गै.मु. नाला में अनाधिकृत रूप से पतरों की ओरडी बाड बनाकर कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, नहीं पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 198 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म गै.मु. नाला अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.16 का 50 गुणा रू0 8/- अक्षरे आठ रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा, पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


04.10.16
तहसीलदार जसवंतपुरा
तहसीलदार, जसवंतपुरा